

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

विरेन्द्र वगैरह

बनाम

सुभाष वगैरह

किस्म मुकदमा :-प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 57 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं० 1 को वास्ते जवाब अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित व हक-हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले ताकि पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 11 बी.डी. बी के मु०नं० 134/62 के किला नं० 1 ता 25 कुल तादादी 6.3225 है० भूमि के 3/16 हिस्से पर दिनांक 23.05.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।</p>	